<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 6/2018 (डूंगरपुर आर्डर)</u>

1. भंवरलाल पिता कचरूलाल जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
2. शंकरलाल पिता गेबीलाल जैन, निवासी पावडा (मृतक) के बजाय :–

   2/1. लक्ष्मीलाल पिता शंकरलाल जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   2/2. भंवरलाल पिता शंकरलाल जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा
3. धूलचन्द पिता टेकचन्द जैन, निवासी पावडा (मृतक) के बजाय :–

   3/1. शान्तिलाल पिता धूलजी जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   3/2. देवीलाल पिता धूलजी जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा
4. खेमराज पिता गेबीलाल जैन, निवासी पावडा (मृतक) के बजाय :–

   4/1. हीरालाल पिता खेमराज जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   4/2. कन्हैयालाल पिता खेमराज जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   4/3. श्रीमती सूरजदेवी पुत्री खेमराज जैन, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   4/4. श्रीमती कंकु बेवा खेमराज जैन, निवासी पावडा (नाम तर्क किया गया)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. भाणजी पिता नाथूजी मीणा, निवासी पावडा (मृतक) के बजाय :–

   1/1. वीरमल पिता भाणजी मीणा, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा

   1/2. मगनलाल पिता भाणजी मीणा, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा
2. कुरीया पिता नाथूजी मीणा, निवासी पावडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर।
3. तहसीलदार सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. ग्राम पंचायत पावडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पावडा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय/

Signature Not Verified

आदेश उपखण्ड अधि[illegible]वाड़ा

Digitally signed by M. L Chouhan

दिनांक 11.07.2018 प्र.स. ___/___

Date: 2021.07.08 12:28:40 IST

Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एल.एस. चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 1, 2

–––::–––

निर्णय **दिनांक 12–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध आदेश 21 नियम 32 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/वादीगण का वाद आप न्यायालय द्वारा दिनांक 21–05–1997 को खारिज किया गया, जिसकी अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर में प्रस्तुत होने पर अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–1997 निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–12–2004 से प्रतिवादीगण की अपील खारिज करते हुए भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–1999 को यथावत रखा। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रकरण संख्या 187/86 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–1986 स्वतः निरस्त हो गया। अतः भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–1999 की पालना की जावे एवं प्रकरण संख्या 187/86 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–1986 की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण को राजस्व रेकार्ड में निरस्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी नंबर 3824/1 आबादी में दर्ज होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए दिनांक 11–07–2018 को वादीगण (डिक्रीदार) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री एल. एस. चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्रीदार अपीलान्ट का इजराय प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर गम्भीर [illegible] भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की कोई रिट याचिका रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय अंतिम निर्णय है, जिसके अनुसार भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर के निर्णय में पालना किये जाने के लिए अधिनस्थ न्यायालय आबद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा इजराय की पालना किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी नंबर 3824/1 राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–07–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested